# नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (मुख्य प्रशासिनक अधिकारी) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में मुख्य प्रशासिनक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी , समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - **4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

# उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची पदों की वर्गीकरण वेतन बैंड सेवा में जोड़े गए वर्षों का सीधे भर्ती किए जाने पद का चयन पद और ग्रेड नाम संख्या अथवा फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा वाले व्यक्तियों के (पेंशन) नियम, 1972 के लिए आयु-सीमा वेतन या अचयन नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय वेतनमान पद है या नहीं (1) (2) (3)(4) (5)(6) (7) लागू नहीं होता मुख्य 1\* (2011) साधारण केन्द्रीय वेतन बैंड-3, लागू नहीं लागू नहीं होता प्रशासनिक (\*कार्यभार के सेवा, समृह 'क' होता 15600-अधिकारी राजपत्रित, आधार पर 39100 হ.+ परिवर्तन किया अनुसचिवीय ग्रेड वेतन जा सकता है)। 6600 रु.

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11) (12)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है)/आमेलन

# प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है )/आमेलन :

- (1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध-सरकारी/स्वशासी/कानूनी-संगठनों के ऐसे अधिकारी:
- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) प्रशासनिक और स्थापन मामलों में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो ।
- 2. वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 में, ऐसा विभागीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है, के संबंध में भी अन्य बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर उसका चयन कर लिया जाता है, तो वह पद प्रोन्नित द्वारा भरा समझा जाएगा।

टिप्पण 1 : केवल केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अविध (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5 : प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 2/15/2000-स्था. II] ललन प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

#### New Delhi, the 19th April, 2011

- **G.S.R.** 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, (Chief Administrative Officer), Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Administrative Officer in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:—
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Chief Administrative Officer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2011.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scales attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
  - 4. **Disqualification.**—No person,—
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Administrative Officer	1*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600— 39100 plus Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

496 THE GAZETTE OF I	NDIA: APRIL 30, 2011/VAISAKHA 10, 1933	[PART II—SEC. 3(1)]	
ducational and other qualifications quired for direct recruits  Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees.	
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacance to be filled by various methods	ion grades from which promotion o		
(11)	(12)		
Promotion/deputation (including short term contract)/absorption	Promotion/deputation (including short-term contract)/absorption:  1. Officers of the Central Government/State Government/Union Territories/Universities/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions/Semi Government/Autonomous/Statutory Organisations,—		
	(a) (i) holding analogous post on a or Department; or (ii) with five years regular servic Rs. 15600—39100 plus Grade Pay parent cadre or department; or (iii) with seven years regular serv Rs. 9300—34800 plus Grade Pay parent cadre or department; and	the in the grade in Pay Band-3, of Rs. 5400 or equivalent in the lice in the grade in Pay Band-2.	
	(b) having five years experience in a matters.  2. The Departmental Administr Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of service in the grade shall also be and in case he is selected for app shall be deemed to have been filled Note 1.—Only Officers from Centra Union Territory are eligible for be by absorption.	rative Officer in Pay Band-2 Rs. 4600 with seven years regular considered along with outsiders cointment to the post, the same d by promotion. I Government/State Government	
	Note 2.—The departmental officer the direct line of promotion shall r for appointment by deputation and not be eligible for consideration for Note 3.—Period of deputation (including period of deputation (in another ex-cadre post held immedia in the same or some other organizate Government shall ordinarily not to	not be eligible for consideration similarly the deputationists shall or appointment by promotion. including short term contract) including short term contract) in ately preceding this appointment tion or department of the Central	
	Note 4.—The maximum age limit (including short term contract) sha on the closing date of receipt of approximately and the contract of the cont	for appointment by deputationall be not exceeding 56 years as	
	Note 5.—For the purpose of appoir (including short term contract)/abso	_	

on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed

	(12)		
	to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement Grade without any upgradation.		
If a Departmental Promotion Committee exist,	Circumstances in which Union Public Service Commission		
what is its composition	is to be consulted in making recruitment		
(13)	(14)		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.		
	[F. No. 2/15/2000-E. II] L. P. SHARMA, Under Secy.		

# कृषि मंत्रालय

### ( पश्पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 135.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (वर्ग-3 और वर्ग-4 पद) भर्ती नियम, 1971 को, जहां तक उसका संबंध किनष्ठ सहायक (भेड़ प्रबंध) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार में किनष्ठ सहायक (भेड़ प्रबंध) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार में कनिष्ठ सहायक (भेड़ प्रबंध) (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2011 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछडे वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।